फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ....

बनाम

.... सन ....

किस्म मुकदमा .... नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.9.20	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप० प्रतिवादी कोरोना काल के कारण साक्ष्य प्रतिवादी को समय दिया जाकर पत्रावली दिनांक 5.11.20 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) नागौर	
5.11.20	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ०सा० चुनाव कार्य मे व्यस्त पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु आईन्दा दिनांक 8.12.20 को पेश होवे।	
08/12/20	पक्षकार/पक्षकारान के आवश्यक ... चुनाव कार्य मे व्यस्त है पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/ अवकाश ... हैं। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 04.02.21 को प्रस्तुत हो।	
4.2.21	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप० साक्ष्य प्रतिवादी पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं किये हुए। अतः साक्ष्य प्रतिवादी भी बंद किये जाते है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24/3/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) नागौर	
24/3/21	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई जिन्होने रिकार्ड के आधार पर वाद का निस्तारण करने का निवेदन किया। सहायक कलक्टर (मु.) नागौर	

FORM No. 19

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर मुकाम (मु.) नागौर

रुस्तम बनाम रमजान वगैरा

मुकदमा बटवारा घोषणा (काश्तकारी) नं. 72 सन् 2009

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 32 स्व. मीरा बख्श जी के वंशज है जिनकी वंशावली दावे में अंकित है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 8 की पुश्तैनी शामिल शरीक कब्जे काश्त सहखातेदारी की कृषि भूमि वर्तमान ख.नं. 1385 रकबा 9-04 बीघा, ख.नं. 1818 रकबा 9-11 बीघा, ख.नं. 1819 रकबा 15-04 बीघा ख.नं. 1823 रकबा 2-13 बीघा, ख.नं. 1879 रकबा 4-06 बीघा ख.नं. 2018 रकबा 13-05 बीघा, ख.नं. 1844 रकबा 0-13 बीघा, ख.नं. 1828 रकबा 0-03 बीघा, ख.नं. 1838 रकबा 5-13, ख.नं. 1662 रकबा 11-00 बीघा ख.नं. 1812 रकबा 9-04 बीघा, ख.नं. 1821 रकबा 8-15 बीघा, ख.नं. 1822 रकबा 4-00 बीघा ग्राम रूण में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 8 के पिता अहमद जी का सम्वत 2024 में देहान्त हो गया जिसके बाद वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 8 के मध्य विवादित भूमि का बंटवारा मौखिक रूप से सम्वत 2027 में निम्नानुसार हो गया - (क) कि खेत ख.नं. 1819 रकबा 15-04 बीघा वादी के बंट व कब्जे काश्त में रखा गया। प्रतिवादी (ख) कि खेत ख.नं. 2018 रकबा 13-05 बीघा को रखा गया सं. 1 रमजान के बंट, कब्जे काश्त में (ग) कि खेत ख.नं. 1823 रकबा 2-13 बीघा व ख.नं. 1812 रकबा 9-04 बीघा कुल रकबा 11-17 प्रतिवादी सं. 2 चांद मोहम्मद के बंट में रखा गया। (घ) कि खेत ख.नं. 1838 रकबा 5-13 बीघा व ख.नं. 1662 रकबा 11-00 बीघा कुल रकबा 16-13 बीघा प्रतिवादी सं. 3 शौकत के बंट में रखा गया। (ङ) खेत ख.नं. 1818 रकबा 9-11 बीघा व ख.नं. 1879 रकबा 4-06 बीघा कुल रकबा 13-17 प्रतिवादी सं. 4 अख्तर के बंट में रखा गया। (च) ख.नं. 1821 रकबा 8-15 बीघा व ख.नं. 1822 रकबा 4-00 बीघा कुल रकबा 12-15 बीघा प्रतिवादी सं. 5 लियाकत के बंट में रखा गया [signature] सहायक कलक्टर (मु.)	

(क) ख.नं. 1385 रकबा 3 बीघा प्रतिवादी सं. 6 कबीर के घेर में कब्जे कायम से रखा गया।
(ख) ख.नं. 1824 रकबा 0.13 बीघा वादी व प्रतिवादी सं. 5 लियाकत व प्रतिवादी सं. 6 कबीर के संयुक्त रूप से रखा गया है।

प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 5, 14, 21, 22, 27, 36, 37 की ओर से दिनांक 23/9/2014 को श्री सांवरराम चौधरी एड० ने वकालतनामा पेश। प्रतिवादी सं. 13 की ओर से भी सांवरराम चौधरी ने दि. 2.3.16 को दूसरा वकालतनामा पेश किया। दिनांक 30/3/11 को प्रतिवादी सं 23 की ओर से भी वकील सांवरराम चौधरी ने वकालतनामा पेश। बारबार अवसर देने के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं किया जिससे इनकी जवाब देही बंद की गई। दिनांक 28-5-14 को प्रतिवादी सं 7, 25, 28, 30, 31, 33, 18 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।
दिनांक 21.12.15 को प्रतिवादी सं. 8, 9, 9, 14 व 23 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल कायम मुकाम० के विरुद्ध लाई गई।
स्वयं वादी करतम ने अपना शपथपत्र मुख्य परीक्षण में दिनांक 12.4.16 को पेश कर उसी दिन बयान लेकर कलमबंद किए तथा दस्तावेज प्रदर्श। से 7 प्रदर्शित कराये।
दस्तावेजात मे जमाबंदी नकल सम्वत 2023-26 प्रदर्श-1, जमाबंदी सम्वत 2059-62 प्रदर्श 2, जमाबंदी सम्वत 2063-66 प्रदर्श 3, जमाबंदी दि. 2063-65 प्रदर्श 4, जमाबंदी सम्वत 2067-70 प्रदर्श-5, जमाबंदी सम्वत 2067-70 प्रदर्श-6 व नकल नक्शा प्रदर्श-7 प्रदर्शित कराये गये।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित ख.नं. 1812, 1821, 1822, 1838 व 1662 पर प्रतिवादी सं. 2, 5 व 6 का कब्जा काबिज रहने बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

(हस्ताक्षर)

हुक्म या कार्यवाही मय [illegible]	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खातेदार ख.नं. 1838, 1662, 1812, 1821 व 1822 वाके ग्राम वादीगण के पिता अहमद पु० जब्बार के कब्जे काश्त व खातेदारी के खातेदार होने का कोई दस्तावेजी सबूत पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है केवल वादी के कहने मात्र से यह साबित नहीं हो जाता कि उक्त खातेदार में वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 का व उनके पिता का कोई खातेदारी अधिकार मौजूद है। जबकि उक्त खातेदार ख.नं. 1838 की जमाबंदी प्रदर्श 3 के अवलोकन से नब्बू पु० मीरा के नाम दर्ज रहती आई एवं ख.नं. 1662 की खातेदारी नब्बू पु० मीरा, सुलेमान, अख्तर, मुबारक, गेना, कतलू, समसा, मूमल पि. अलादीन के नाम से दर्ज रहती आई है एवं ख.नं. 1812, 1821, 1822 की खातेदारी साबदीन, सत्तार, जब्बार पि. ममदा के नाम रहती चली आने का दस्तावेजी सबूत खतौनी प्रदर्श-4 पत्रावली पर मौजूद है। ख.नं. 1816 की खतौनी प्रदर्श-5 जो वाद में विवादित खातेदार दर्ज नहीं है

ख.नं. 1838 के स्थान पर 1846 संशोधन चाहा गया है जबकि न तो वाद पेश करते समय उक्त ख.नं. 1846 का उल्लेख वाद पत्र के पैरा सं.2 में बतौर विवादित खातेदार वादी ने किया न ही ख.नं. 1846 की कोई खतौनी ही पेश की थी जो वाद में खतौनी प्रदर्श-6 दिनांक 4.2.2015 को लेकर दि. 12.4.2016 को न्यायालय में मुलाहिजा के वास्ते पेश है जिससे स्पष्ट है कि सहवन से कोई भूल नहीं हुई है जबकि वादी ने अन्य वाद से बचने की नियत से दुर्भावनापूर्वक संशोधन का आवेदन पेश किया है ऐसी स्थिति में आवेदन वादी अधीन आदेश 6 नियम 17 CPC का निरस्त किया जाता है।

साथ ही, खातेदार ख.नं. 1838, 1662, 1812, 1821, 1822 की खतौनी वादी पत्रों के पिता अहमद के कब्जे काश्त व खातेदारी के खातेदार होने व उक्त खातेदार की जमाबंदी वादी पत्रों के पिता एवं स्व. अहमद के वारिसान के नाम सहवन से नहीं आकर स्व. अहमद के पिता जब्बारदीन के भाई नबीबख्श व उनके वारिसों के नाम गलती से आने से उनका कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाने का तथ्य वादी साबित करने में विफल रहा है। इसलिए वाद वादी दुरभिसंधि के आधार पर पेश हुआ होने से एवं खातेदार के रेकॉर्डेड खातेदारान द्वारा

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	किये जाने वाले अन्तरणो पर लगने वाले राजस्व शुल्क से बचने के लिए वाद पेश किया गया है जो निरस्त किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर)
	नागौर

डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **सहायक कलक्टर (मु0)** मुकाम **नागौर**

व इजलाश **रामजस बिश्नोई (आर.ए.एस.)**

वादी	प्रतिवादीगण
रूस्तम	रमजान वगै0

राजस्व वाद मुकद्दमा 72 सन् 2009

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **श्री दिनेश हेडा, अधिवक्ता वादीगण** की ओर से मिनजानिब मुद्दई व **श्री सांवरराम चौधरी , अधिवक्ता प्रतिवादीगण** की ओर से मनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं व अन्तिम डिक्री दी जाती हैं :–

ग्राम रूण के खेताय ख.न. 1838, 1662, 1812, 1821, 1822 की खतौनी वादी वगैरा के पिता अहमद के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेताय होने व उक्त खेताय की खातेदारी वादी वगैरा के पिता एवं स्व. अहमद के वारिसान के नाम सहवन से नहीं आकर स्व. अहमद के पिता जफरूदीन के भाई नबीबख्श व उनके वारिसों के नाम गलती से आने से उनका कोई हक अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाने का तथ्य वादी साबित करने में विफल रहा है। इसलिए वाद वादी दुरभिसंधी के आधार पर पेश हुआ होने से एवं खेताय के रेकर्डेड खातेदारान द्वारा किये जाने वाले अन्तरणों पर लगने वाले राजस्व शुल्क से बचने के लिए वाद पेश किया गया है, जो निरस्त किया जाता है।

लीज..मुबलिक..बाबत..............

..............खर्चा इस मुकदद में मय सूद व शहर ....फीस

सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..को अदा करें।

बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **24** माह **03** सन् **2021**

सहायक कलक्टर (मु.)

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयला	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बबत इजराय हुक्म नामा		
बबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिक		
मुतफरिक			मिजान		

(रामजस बिश्नोई)

सहायक कलक्टर (मु.)

सहायक कलक्टर (मु.) नागौर